शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या– 602 /आठ–7–2023

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–7 **लखनऊ : दिनांक : 20 जून, 2023**

विषय : प्रशासनिक/लेखा/उद्यान/राजस्व/विधि/लिपिक संवर्ग(तकनीकी एवं नियोजन संवर्ग को छोड़कर) के समस्त कार्मिकों का सेवा विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन केन्द्रीयित सेवा के प्रशासनिक संवर्ग, लेखा संवर्ग, राजस्व संवर्ग, विधि संवर्ग, वृक्ष(उद्यान) संवर्द्धन संवर्ग एवं लिपिकीय संवर्ग (तकनीकी एवं नियोजन संवर्ग को छोड़कर) के समस्त कार्मिकों के स्थानान्तरण/सेवा संबंधी प्रकरणों के निस्तारण हेतु इनका सेवा विवरण अद्यतन किया जाना है, जिसके दृष्टिगत कार्मिकों के सेवा विवरण की आवश्यकता है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने प्राधिकरण में कार्यरत उपरोक्त संवर्गों के समस्त कार्मिकों का पदवार सेवा विवरण निम्नलिखित प्रारूप पर आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–7 की ई–मेल आई.डी. पर M.S. Word Format में एवं हार्ड कॉपी में शासन को 03 कार्य दिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–

क्र.	नाम/पिता का नाम/गृह जनपद/जन्म तिथि	पदनाम/संवर्ग	दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा के रूप में दी गयी सेवाओं को जोड़ते हुए पूर्व तैनाती के प्राधिकरण का तिथिवार विवरण	प्राधिकरणों मेंसेवाकाल (कुल अवधि)	वर्तमान तैनाती का प्राधिकरण/तैनाती की तिथि/सेवा अवधि (दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति)	अभ्युक्ति (सेवा पुस्तिका/अन्य अभिलेखों से संज्ञानित प्रतिकूल प्रविष्टि/दण्ड/प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही, यदि कोई हो तो)
1	2	3	4	5	6	7

3– उपर्युक्त सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उपलब्ध करायी जा रही सूचना त्रुटिरहित है एवं प्राधिकरणों में कार्यरत समस्त कार्मिकों का नाम इसमें सम्मिलित है एवं किसी भी कार्मिक का विवरण सम्मिलित किये जाने हेतु शेष नहीं है। यदि किसी कार्मिक का नाम उपलब्ध करायी गयी सूचना में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो इस हेतु उपाध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण उत्तरदायी होंगे।

4– उक्त के अतिरिक्त आपके प्राधिकरण में केन्द्रीयित सेवा के प्रशासनिक संवर्ग, लेखा संवर्ग, राजस्व संवर्ग, विधि संवर्ग, वृक्ष संवर्द्धन संवर्ग एवं लिपिकीय संवर्ग (तकनीकी एवं नियोजन संवर्ग को छोड़कर) के सृजित सीधी भर्ती एवं पदोन्नति कोटे के साथ भरे एवं रिक्त पदों की भी सूचना शासन को 03 कार्य दिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

20.6.2023

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव